जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.11.2024

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **मेंहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता अशोक सिंह पुत्र फरदंगी सिंह निवासी सरफरा टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 मुरली मनोहर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 134 वाहनों से 1,48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 134 वाहनों से 1,48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 14.11.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0-780/24 धारा 137(2),87,61(2),115(2),352,351(2),65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राम करन पुत्र श्रीपत निवासी बरईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को बंजरिया मार्ग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 13.10.2024 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 14.11.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, का0 संदीप यादव, का अतिश कुमार यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 03 अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष का कारावास व 6000-6000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 14.11.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2019 धारा 323,504,325,308 भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01. विजयसेन पुत्र इन्दर प्रसाद 02. राजकरन पुत्र इन्दर 03. विकास पुत्र विजयसेन निवासीगण सतौरा माधोपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अभि0 विजयसेन को सत्र परीक्षण 153/19 व अभि0गण विकास व राजकरन को सत्र परीक्षण 106/21 मु0अ0सं0 365/19 धारा 325 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद संतकबीरनगर में 04-04 वर्ष के कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत उपरोक्त सत्रवादो में अभियुक्तगण को 06-06 माह कारावास व 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को 07-07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा। अभियुक्तगण द्वारा उक्त मामले में जेल बितायी गई अवधि सजा मे समायोजित किया जायेगा।